

प्रेस रिलीज़

18 जनवरी 2020

नई दिल्ली

दिल्ली में अगले 3 महीनों तक रासुका लागू करना नागरिकता को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को ख़त्म करने की कोशिश

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने, दिल्ली के राज्यपाल द्वारा दिए गए राज्य में 19 जनवरी से अगले 3 महीनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका/एनएसए) लागू करने के आदेश की निंदा की है।

रासुका एक काला कानून है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासत में ले सकती है और उसे बिना अदालत में पेश किए 12 महीनों तक जेल में रख सकती है, यहां तक कि उसे ज़मानत भी नहीं मिल सकती। अब दिल्ली में इसका अचानक लागू किया जाना विभिन्न कारणों से बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि राज्य के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें यह काला कानून लागू करने को सही ठहराया जा सके, इसलिए हर कोई समझ सकता है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जन-प्रदर्शनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कितनी बेचैन है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों तक के खिलाफ सिर्फ इस वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा का रुख अपनाया और उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, क्योंकि वे सरकार की एक नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामा मस्जिद, शाहीन बाग और जंतर मंतर जैसे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अभी भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, इसलिए बहुत संभव है कि इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। साथ ही बीजेपी फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी इसका दुरुपयोग कर सकती है, क्योंकि पार्टी पहले से ही अपनी लोकप्रियता खोती चली जा रही है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में रासुका लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से विरोध की लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने की कोशिश है।

पॉपुलर फ्रंट की एनईसी सभी नागरिकों और पार्टियों से अपील करती है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस कदम के खिलाफ खुलकर सामने आएँ।

मोहम्मद अली जिन्ना

राष्ट्रीय महासचिव

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली